मोहनदेवी बनाम प्रहलादसिंह आदि

प्रा० पत्र धारा 125 दं०प्र०सं० 19/2017

26-3-18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-5-18 को पेश हो।

10/5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 'अभियान न्याय आपके द्वारा-2018 केम्प कोर्ट, N.G.L. में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/उपस्थित नही/ आयें/प्रकरण का निस्तारण नहीं होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-5-18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर

11-5-18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार-2018 केम्प कोर्ट राणोली में पेश हुई। प्रार्थी मोहनदेवी एवं अप्रार्थीगण प्रहलाद सिंह, दशरथ सिंह स्वयं उपस्थित आये। पक्षकारान के निवेदन किया कि प्रार्थिका एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रार्थिका आगे पत्र की आगे नही चलाना चाहती। अर्थात पक्षकारान के हस्ताक्षर किये। प्रार्थिका की पश्चात उसके पुत्र हरिप्रसाद के भी तथा अप्रार्थीगण की पश्चात एवं श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी के भी तथा हस्ताक्षर किये। मुकदमा नोट फेस में लोकप्रिय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दं०प्र०सं० को चलाये रखने का कोई औचित्य नही है। अतः पक्षकारान के अनुरोध पर प्रार्थना पत्र आपसी निबेड़ा होने प्रार्थिका नोट फेस में लोकप्रिय किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

निर्णय आज दिनांक 11-5-18 को केम्प कोर्ट, राणोली में खुले आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

प्रार्थिका एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए प्रार्थिका अपने आगे के पत्र धारा 125 को आगे नही चलाना चाहती है।
आ.नि. मोहनदेवी

पहचानकर्ता - हरिप्रसाद (पुत्र मोहनदेवी)
हरिप्रसाद

अप्रार्थीगण
आ.नि. प्रहलादसिंह

आ.नि. दशरथ